नेशनल एनीमल्स डिज़ीज रिपोर्टिंग सिस्टम योजना (100 प्रतिशत केन्द्रपोषित)

योजना का प्रारूप–

भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना नेशनल एनीमल्स डिज़ीज रिपोर्टिंग सिस्टम (एन0ए0डी0आर0एस0) वर्ष 2010–11 में उत्तर प्रदेश एवं भारत के समस्त प्रान्तों में National Informatics Center (NIC) द्वारा कियान्वित करायी गई है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 820 ब्लाक स्तरीय पशु चिकित्सालयों, 72 जनपदीय मुख्यालयों एवं निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर 143 पशु बीमारियों की निगरानी एवं नियंत्रण की सूचना प्रदेश स्तर पर संकलित कर भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किया जाना है। इस प्रकार किसी भी प्रान्त में कहीं भी पशुओं में किसी भी रोग का प्रकोप होने पर उसकी जानकारी देश के प्रत्येक प्रांत में इन्टरनैट के माध्यम से तत्काल प्रसारित हो जायेगी तथा सभी प्रान्तीय पशु पालन विभाग यथा समय अपने प्रदेश में उक्त रोग के प्रकोप को नियन्त्रित करने में सक्षम हो सकेंगे तथा रोग नियत्रण एवं अनुश्रवण त्वरित गति से सुगम हो जायेगा और रोग नियन्त्रण सम्बन्धी दिशा निर्देश रोग प्रभावित ग्राम, जनपद एवं मण्डलीय अधिकारियों को ई–मेल के माध्यम से निर्गत करना सुगम हो सकेगा। नेशनल एनीमल्स डिज़ीज रिपोर्टिंग सिस्टम (एन0ए0डी0आर0एस0) के अन्तर्गत भारतवर्ष के 6,350 ब्लाक, 615–620 जनपद तथा सभी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश एवं पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान सम्मलित किये गये है अर्थात भारतवर्ष के कुल 7032 केन्द्र इस योजना के अन्तर्गत जोडे गये है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 820 कम्प्यूटर ब्लाक स्तरीय पशु चिकित्सालयों, 71 कम्प्यूटर जनपदीय मुख्यालय एवं 2 कम्प्यूटर निदेशालय पशुपालन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ कुल 892 कम्प्यूटर संयोजित किये जा चुके हैं (जनपद बुलन्दशहर के ऊँचागांव को छोडकर सभी जगह कम्प्यूटर सिस्टम संयोजित किये जा चुके हैं)।

निदेशक पशु पालन विभाग उ0प्र0 द्वारा **उप निदेशक (ईपीडी0) मुख्यालय को इस योजना को प्रदेश में संचालित कराने के लिये स्टेट को–आर्डीनेटर नामित किया गया है** तथा समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को जनपद स्तरीय एवं प्रत्येक ब्लाक के पशु चिकित्साधिकारियों को ब्लाक स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ब्लाक स्तरीय नोडल अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में अपने अधीनस्थ समस्त State Vaterinary hospital के पशु चिकित्साधिकारी द्वारा एकत्रित की गई संकलित रोग के प्रकोप की सूचना तत्काल नैट पर डालने के लिये उत्तरदायी होंगे। जनपद पर मु0प0चि0अ0 जनपदीय मॉनीटरिंग कमैटी के अध्यक्ष एवं एन0आई0सी0 के डी0आई0ओ0 जनपदीय मॉनीटरिंग कमैटी के सदस्य नामित किये गये हैं।

योजना का उददेश्यः—

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक, जनपद एवं राज्य के नोड़ल, केन्द्र द्वारा पूर्ण रूप से बीमारियों की मॉनीटरिंग एवं Trans-boundary बीमारियों की रोकथाम के उददेश्य से भारत सरकार द्वारा इस योजना को संचालित किया गया है तथा पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न बीमारियों की मॉनीटरिंग, रोकथाम एवं बीमारियों के निदान का कार्य त्वरित गति से सम्पादित किया जाना है (जोकि विपरीत Trans-boundary प्रवृत्ति के होते है) यद्यपि योजना का मुख्य उद्देश्य बीमारियों की Reporting करना है, परन्तु किसी भी बीमारी की रिर्पोटिंग करने का उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि उस बीमारी पर तत्काल रोकथाम या बचाव हो सकें, बल्कि इसके लिए यह भी नितान्त आवश्यक है कि भविष्य के लिए बीमारी की रोकथाम हेतु रणनीति तैयार कर ली जाये, इसमें बीमारी के प्रकोप की गणना, आर्थिक हानि का आंगणन हो सकें ताकि किसी भी देश को बीमारी मुक्त घोषित किया जा सके।

वर्तमान समय में जो पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय/पशुसेवा केन्द्र में पदस्थ है, वह पशुओं के बाह्य लक्षणों के आधार पर ही बीमारी की पहचान करके ओ.पी. डी. रजिस्ट्रर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, रोग की सूचना जनपद मुख्यालय एवं राज्य मुख्यालय को दी जाती है। बीमारियों की सूचना रोग निदान प्रयोगशाला जो कि जनपदीय स्तर, राज्य स्तर या मण्डलीय स्तर से भी प्रेषित की जानी है। बीमारी की सूचना राज्य स्तर मुख्यालय द्वारा पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित की जानी है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को छोड़कर अन्य एन0जी0ओ0 और अर्द्व एन0जी0ओ0 जैसे State Agriculture University, Veterinary College, ICAR Institutes अन्य सभी बीमारी की रोकथाम/निदान के लिए प्रयत्नशील रहेंगें।

इन सभी कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने एन0ए0डी0आर0एस0 योजनान्तर्गत Online Disease Reporting system तैयार किया गया है। इस प्रस्तावित System के तहत प्रत्येक जनपद के ब्लाक स्तरीय क्षेत्रों को जनपद मुख्यालय से जोड़ा गया है और प्रत्येक जनपदीय मुख्यालय को राज्य स्तरीय मुख्यालय से जोडा गया है और प्रत्येक राज्य स्तरीय मुख्यालय को भारत सरकार के मुख्यालय अर्थात मुख्य यूनिट DADF नई दिल्ली से जोडा गया है। इस योजना के तहत ब्लाक स्तर से पशुओं के रोगों से सम्बन्धित सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से जनपद मुख्यालय तथा जनपद मुख्यालय से राज्य स्तरीय मुख्यालय पर संकलित कर भेजी जायेगी और इस प्रकार संकलित सूचनाएं कम्प्यूटर के माध्यम से पशुपालन डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली को भेजी जायेगी। इस योजना में सभी कम्प्यूटर के जुडने से समय की काफी बचत होगी जोकि पूर्व में बीमारियों की रिर्पोटिंग करने/प्रसारित करने में काफी समय लग जाता था।

पशु रोग बीमारी की रिर्पोटिंग पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा ब्लाक स्तरीय नोड़ल अधिकारी को दी जायेगी जिसके अन्तर्गत पदस्थ सभी पशु चिकित्सा अधिकारी आते है। एन0ए0डी0आर0एस0 योजना को रोग निदान प्रयोगशाला से भी जोडा जायेगा। इस प्रकार पशुओं की बीमारी की अन्तिम रिपोर्ट लैब द्वारा प्रमाणित की जायेगी। इस योजना से पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित जानकारियां व्दसपदम उपलब्ध हो सकेगी। जिससे पशु रोग नियंत्रण में पारदर्शिता बनी रहेगी और गरीब पशुपालकों को इस व्यवस्था से अत्यधिक लाभ होगा।साथ ही Trans-boundary रोगों के नियंत्रण एवं निदान में सहायता भी मिलेगी।

ब्लाक स्तरीय MIS:-

ब्लाक स्तर पर पशुओं में होने वाले पशु रोगों की रिर्पोटिंग के अतिरिक्त इस योजना का उपयोग अन्य विभागीय गतिविधियों में भी किया जा सकेगा। इसके साफ्टवेयर को इस तरीके से विकसित किया गया है कि किसी भी पशु चिकित्सालय से सम्बन्धित प्रतिदिन की गतिविधयों की रिर्पोटिंग मुख्यालय की उपयोगिता के आधार पर प्रेषित की जा सकेगी।

पशु बीमा प्रबन्धन	ब्लाक पर कृत्रिम गर्भाधान	चारा बीज वितरण
	ब्लाक स्तरीय ड्रे	
पशु वधशाला निरीक्षण कार्यक्रम	बधियाकरण एवं टीकाकरण प्रबन्धन	पशु चिकित्सालय शिविर

1. *पशु वधशाला निरीक्षण मे उपयोग–*

नेशनल एनीमल्स डिजीज रिर्पोटिग सिस्टम योजनान्तर्गत इस साफ्टवेयर को इस तरीक से तैयार किया गया है कि ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले सभी पंजीकृत पशु वधालयों में होने वाली कटान के क्रियाकलापों का समयबद्व तरीके से निरीक्षण किया जा सकें।

2. कृत्रिम गर्भाधान प्रबन्धन में उपयोग–

इस साफ्टवेयर के जरिये राजकीय पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अपने से जुडे क्षेत्रों में सम्पादित किये गये कृत्रिम गर्भाधान एवं कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न पशु शावकों आदि से सम्बन्धित सूचना संकलित करना है। इसका उपयोग राज्यों मे विभिन्न लक्ष्यों के निर्धारण करने में सहायता मिलेगी। जिस तरह राज्य स्तर से जनपदों हेतु लक्ष्यों निर्धारित किये जाते है उसी तरह जनपद स्तर से ब्लाक स्तर के लिए लक्ष्य सुनिश्चित हो जाने पर लक्ष्यों को प्राप्त करने

की प्रगति ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा डाटा इन्ट्री करने के पश्चात जनपद एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा लक्ष्यों की प्रगति प्राप्त किया जा सकेंगा।

3. बधियाकरण, टीकाकरण प्रबन्धन में उपयोगः–

इस साफ्टवेयर के उपयोग से पशु चिकित्सालय, पशुसेवा केन्द्र एवं ब्लाक में रोग के सापेक्ष किये गये टीकाकरण की इन्ट्री की जा सकेगी। जिससे उक्त टीकों का प्रभावशाली उपयोग एक क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसके उपयोग से विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैस– टीकाकरण, बधियाकरण प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है।

4. पशु स्वास्थ्य शिविरों में उपयोगः–

पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित किये जाते है। इन शिविरों में कई पशुओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम जैसे कि बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, उपचार उपहार वितरण इत्यादि कए ही सुनिश्चित स्थान पर किये जाते है।

इन शिवरों का मुख्य उददेश्य विभिन्न विभागीय गतिविधियों को एक ही छत के नीचे प्रदान किया जाता है जिससे अधिक से अधिक पशुओं को अधिक लाभ पहुॅचाया जा सकें।

इस साफ्टवेयर के डवकनसम को इन तरीके से दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है कि शिविरों में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को संकलित किया जा सकें और समय–समय पर इन गतिविधियों को अपडेट किया जा सकें।

5. पशु चारा बीज वितरण में उपयोगः–

वर्तमान समय मे पशु चारा बीज वितरण पशुपालन केन्द्र पर पारिवारिक रूप से सभी जनपदों में वितरित किया जाता है। चारा बीज वितरण की रिर्पोटिंग का कोई उचित तरीका नहीं है जिससे इसके उपयोग को और अधिक बढ़ाया जा सकें।

इस साफ्टवेयर के माध्यम से बीज प्राप्त करने वाले कृषकों का नाम, बीज की प्रजाति, कृषकों के पास उपलब्ध भूमि की प्रवृति, और कृषकों द्वारा उपयोग किये गये बीज को चिन्हित करना इत्यादि को इस साफ्टवेयर के माध्यम से निगरानी करने में काफी सहयोग मिल सकेगा।

6. बीमा प्रबन्धन में उपयोगः–

वर्तमान मं पशु बीमा कार्यक्रम विभिन्न प्रदेशों में प्रतिशत के आधार पर राज्य सरकार एवं पशुपालकों के बीच चलाया जा रहा है जिससे सरकार को प्रतिशत Sharry basis सुनिश्चित होता है।

इस साफ्टवेयर के माध्यम से विभागीय अधिकारी यह जाने में समक्ष हो सकेगें कि सरकार बीमा का कितना प्रतिशत राशि देना, बीमा कम्पनी का नाम, जिसे अधिकृत किया गया हो, एक विशेष क्षेत्र में कितने पशुओं का बीमा होना, पशु बीमा कराने वाले पशुपालकों का नाम एवं पशु प्रजाति आदि का सम्पूर्ण विवरण तथा यह जॉच की जाये कि पशुपालकों को बीमा के अन्तर्गत लाभ की निगरानी इस इस साफ्टवेयर के अन्तर्गत की जा सकेंगी।